रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092021-229566
CG-DL-E-13092021-229566

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2021/भाद्र 22, 1943
No. 512] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021/BHADRA 22, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 626(अ).—केंद्र सरकार एतद्वारा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (अधिनियम सं. 1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में उल्लेखित 2 (दो) अधिकारियों जो, मुंबई पत्तन न्यास के अधिकारी हैं और इस सांविधिक संगठन के श्रेणी 1 पदों के धारक हैं जोकि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समकक्ष है, को उक्त अधिनियम के उद्देश्य हेतु संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट परिसर के संबंध में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा के अंतर्गत संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा दिए गए दायित्वों का निर्वाहन करेंगे।

अधिकारियों का नाम और पदनाम	सरकारी स्थान की श्रेणी	कार्यकाल
1	2	3
1. श्री एस.सी. सोनावने, उप सामग्री प्रबंधक 2. श्री एस.जे. शाह, अधीक्षक अधियंता	महापत्तनन अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अंतर्गत गाठित मुंबई पत्तन के न्यासी मंडल के स्वामित्व वाले अथवा इनके द्वारा या इनकी तरफ से पट्टे पर लिए गए सभी परिसर तथा तत्कालीन बाम्बे डॉक श्रम बोर्ड के स्वामित्व वाली संपत्तियां दिनांक 25 .02.1995 की अधिसूचना का.आ. 113(अ) के अनुसार अब सरकार के पास होंगी।	पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा उनके सेवा में रहने तक जो भी पहले हो।

2. उक्त नियुक्ति सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी।

[फा. सं. ए.- 12011/02/2019- पी.ई-II]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2021

G.S.R. 626(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (Act No. 40 of 1971), the Central Government hereby appoints the 2 (two) officers mentioned in the column (1) of the Table below, being the officers of the Mumbai Port Trust holding Class I post(s) of this Statutory Organization which is equivalent to the rank of Gazetted Officer of Government of India, to be Estate Officers for the purpose of said Act, who will exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officers by or under the said Act, in respect of the premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table:

Name and Designation of the Officer(s)	**Category of Public Premises**	**Tenure**
1	2	3
1.Shri S.C. Sonavane, Dy. Materials Manager 2. Shri S.J. Shah, Superintending Engineer	All premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the Board of Trustees of the Port of Mumbai constituted under Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 and all the properties belonging to the erstwhile Bombay Dock Labour Board now vested with Government in terms of notification SO 113 (E) dated 25.2.1995.	For a period of five years or till they remain in service whichever is earlier.

2. The said appointment shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F.No. A-12011/2/2019-PE-II]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.09.13 16:54:58 +05'30'